बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0सं0—भवन / 10—परिवाद(द0बि0)—01—74 / 2023 232 (अ) /

प्रेषक,

शिव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता /
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक— 8/1/26

विषयः— **आवास मरम्मति पंजी एवं भवन पंजी का संधारण किये जाने संबंधी क्रियान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग के प्रत्येक प्रमंडल के अधीन सभी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों एवं उनके मरम्मति से संबंधित भवन पंजी एवं आवास मरम्मति पंजी का संधारण करना आवश्यक है। इसके माध्यम से ही प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता निर्धारित किया जाना है। साथ ही मरम्मति के आय—व्यय पर भी इसके द्वारा ही नियंत्रण रखा जा सकता है।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त पंजी का संधारण विभिन्न अंचलों एवं प्रमंडलों में नहीं किया जा रहा है, जिससे इन आवासों का रख—रखाव एवं मरम्मति पर होने वाले वर्षवार व्यय पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन भवनों (आवासीय एवं गैर —आवासीय) का भवन पंजी एवं आवास मरम्मति पंजीयों का संधारण कराते हुए दिनांक —15.01.2026 तक क्रियान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझें।

विश्वासभाजन,

8/1/26

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Gopal

E//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Prarup Nigrani